प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 10.02.2026

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा साइबर फ्रॉड में लिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी, थाना साइबर क्राइम गाजियाबाद के 01 अभियोग सहित 5 राज्यों की 3.29 करोड़ रुपये की 7 घटनाओं का खुलासा, गाजियाबाद की घटना में 9.4 लाख रुपये रिफण्ड।

श्री शिवराज सिंह यादव निवासी राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद के साथ शेयर ट्रेडिंग में निवेश कर मुनाफा कमाने के नाम पर साइबर फ्रॉड की घटना हुई, श्री शिवराज सिंह यादव को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ कर फर्जी शेयर ट्रेडिंग वेबसाइट में इन्वेस्ट करने के लिये प्रलोभित किया गया। अभियुक्तों द्वारा फर्जी शेयर ट्रेडिंग App “ASK MIN” पर शेयर ट्रेडिंग अकाउंट बनवाकर, शेयर ट्रेडिंग में निवेश के बहाने कुल 1,11,10,000/- रुपये की साइबर ठगी की गई। उपरोक्त घटना में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा विवेचना के क्रम में उपरोक्त अभियोग में **9.4 लाख रुपये रिकवर** कराते हुए इस साइबर फ्रॉड की घटना करने वाले गैंग के सदस्य अभियुक्त मोहम्मद नदीम पुत्र मोहम्मद जाहिद निवासी मं0न0 227 नाला रोड राजीव गार्डन इन्दिरापुरी गाजियाबाद हाल पता मं0नं0 पी-153 गली नं0 5 बिहारी कालोनी शाहदरा दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष को खोड़ा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त मोहम्मद नदीम ने पूछताछ पर बताया कि अंकित तथा अरुण नाम के दो व्यक्तियों ने उसे गेमिंग प्लटेफार्म के माध्यम से होने वाले साइबर फ्रॉड के बारे में बताया था और गेमिंग प्लेटफार्म में प्रयोग करने के लिए खातों की डिटेल उपलब्ध कराने के लिए कहा था और बताया था कि इन खातों में गेमिंग का पैसा आयेगा जिसका 5 प्रतिशत आपको मिलेगा। इस पर इसने, अंकित तथा अरुण के साथ मिलकर देव लॉजिस्टिक नाम की फर्जी फर्म बनाकर आईडीएफसी बैंक में चालू बैंक खाता खुलवाया था, इस खाते की चैकबुक, एटीएम तथा इण्टरनेट बैंकिग का आईडी पासवर्ड उससे अंकित तथा अरुण ने लिया था, इस खाते से लिंक मो0नं0 उसके पास था। इस खाते में होने वाले ट्रांजेक्शन के ओटीपी वह अंकित तथा अरुण को बताता था। अंकित व अरुण की तलाश की जा रही है।

अभियुक्त से पूछताछ से ज्ञात हुआ कि इनके गैंग के द्वारा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु के लोगों के साथ कुल 3.29 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की गई है।

विवरण इस प्रकार है – उत्तर प्रदेश राज्य की उपरोक्त घटना के अतिरिक्त, महाराष्ट्र राज्य के ठाणे सिटी ज़िले के निवासी आशीष चौधरी के साथ 5,41,000/- रुपये, महाराष्ट्र राज्य के ठाणे सिटी ज़िले की निवासी रचना चौधरी के साथ 95,000/- रुपये, महाराष्ट्र राज्य के पुणे सिटी ज़िले के निवासी श्रीनिवासप्रसाद के साथ 12,00,000/- रुपये, आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति ज़िले के निवासी एम. जहीर के साथ 8,50,000/- रुपये, गुजरात राज्य के भावनगर ज़िले के निवासी बोरिचा परेशभाई के साथ 71,85,291/- रुपये, तमिलनाडु राज्य के चेन्नई – सीसीबी जिले के निवासी एम. महेंद्रन के साथ 1,19,75,000/- रुपये के फ्रॉड की घटनाओं का खुलासा हुआ है। सम्बन्धित पुलिस से सम्पर्क कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मोहम्मद नदीम पुत्र मोहम्मद जाहिद निवासी मं0न0 227 नाला रोड राजीव गार्डन इन्दिरापुरी गाजियाबाद हाल पता मं0नं0 पी-153 गली नं0 5 बिहारी कालोनी शाहदरा दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष, शिक्षा- 8वीं पास।

बरामदगी का विवरण – घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी करने वाली टीम - थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 10.02.2026 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1. शान पुत्र शौकीन निवासी मक्के मस्जिद के पास लोकप्रिय विहार खोडा थाना खोडा जनपद गाजियबाद उम्र करीब 25 वर्ष 2. मुबीन अहमद पुत्र रफी अहमद निवासी लोकप्रिय विहार खोडा का लोनी थाना खोडा जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष को पेसिफिक माल के पास लिंकरोड से चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 317(2)/317(5)/345(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों से पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया हम लोग गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली क्षेत्र में मोटर साइकिल चोरी करते हैं। हम दोनों से जो मोटर साइकिल बरामद हुई है यह मोटर साइकिल हमने दिल्ली शास्त्री पार्क से चोरी की थी। हम चोरी की मोटर साइकिलों को बेचकर अपना खर्चा व शौक पूरा करते है। आज इस मोटर साइकिल को भी हम बेचने के फिराक में आये थे कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. शान पुत्र शौकीन निवासी मक्के मस्जिद के पास लोकप्रिय विहार खोडा थाना खोडा जनपद गाजियबाद उम्र करीब 25 वर्ष।
2. मुबीन अहमद पुत्र रफी अहमद निवासी लोकप्रिय विहार खोडा का लोनी थाना खोडा जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली एनसीआर व गाजियाबाद में चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने व गैगस्टर एक्ट के सम्बन्ध में 04 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

स्वाट टीम,अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा तनिष्क ज्वैलर्स शोरुम व दीपाली ज्वैलर्स शोरुम, थाना साहिबाबाद व थाना कविनगर क्षेत्र में फ्लैट व घरों में हुई चोरी का माल (सोने चाँदी के आभूषण) व घटनाओं में प्रयुक्त अर्टीगा गाड़ी सफेद रंग HR63F7442 बरामद, चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 04 शातिर अपराधी गिरफ्तार।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में, अपर पुलिस उपायुक्त, अपराध के पर्यवेक्षण में सहायक पुलिस आयुक्त अपराध के नेतृत्व में स्वाट टीम, अपराध शाखा द्वारा आज दिनाँक-10/02/2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र साहिबाबाद में रेलवे स्टेशन साहिबाबाद के पास अण्डर पास के बराबर से 04 शातिर अभि0गणो को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से थाना साहिबाबाद क्षेत्र के एसपीएस सोसायटी हुई चोरी की घटना व थाना कविनगर क्षेत्र के राजनगर से हुई चोरी की घटना से संबन्धित माल मुकदमाती व तनिष्क व दीपाली ज्वैलर्स शोरुम के यहा हुई चोरी के घटना के प्रयास व घटना मे प्रयुक्त अर्टीगा गाड़ी को बरामद बरामद करने मे महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

दिनांक 01.02.2026 को रात्रि में अज्ञात चोरो द्वारा थाना क्षेत्र कविनगर स्थित राजनगर में एक कोठी के अंदर घुसकर कोठी से तिजोरी चुरा कर ले गये थे जिसके सम्बन्ध मे वादी की तहरीर पर थाना कविनगर पर मु0अ0स0 0079/2026 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत हुआ था, दिनांकः 05.02.2026 को समय करीब 03.00 बजे 7 व्यक्तियो द्वारा गाजियाबाद मे अम्बेडकर रोड़ पर स्थित तनिष्क व दीपाली ज्वैलर्स के शोरुम मे ताला तोड़कर घुसने का प्रयास किया था उक्त व्यक्तियो द्वारा तनिष्क शोरुम का ताला तोड़ा गया था जिसे तोड़ने पर आवाज होने के कारण पड़ोसी जग गये तो उक्त लोग मौके से फरार हो गये उक्त घटना के सम्बन्ध मे थाना सिहानी गेट पर मु0अ0स0 0025/2026 धारा 305(a)/331(4)/62 बीएनएस पंजीकृत हुआ था जिसके बाद उक्त लोगो द्वारा उसी रात थाना साहिबाबाद क्षेत्र में एसपीएस अपार्टमेंट सोसायटी के एक बंद फ्लैट मे ताला तोड़कर फ्लैट से सोना व चांदी तथा कुछ नगदी चोरी की गयी जिसके सम्बन्ध मे वादी की तहरीर पर थाना साहिबाबाद पर मु0अ0स0 67/2026 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत हुआ था जिसके बाद सातों व्यक्ति घटना कारित करने लेकर आये गाड़ी अर्टीगा रंग सफेद से चोरी का सामान लेकर फरार हो गये थे।

<u>पूछताछ का विवरण</u>- अभियुक्तों से पूछताछ पर अभि0 निमिष अग्रवाल ने बताया कि मैने कुछ समय पहले तनिष्क शोरुम पर सेल्स मैनेजर की नौकरी की थी जहाँ से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था जिसेक बाद मैने दिल्ली के एक ज्वैलर्श शोरुम पर काम करने लगा था किन्तु मैने वहाँ से कुछ ज्वैलरी चोरी कर ली थी तो मुझे दिल्ली जेल जाना पड़ा था जहाँ पर दिल्ली जेल मे मेरी मुलाकात रघु व प्रेम उर्फ टिन्डा व अन्य साथियो से हुई थी वहाँ से छुटने के बाद मेरे पास कुछ काम नही था तो मैने अन्य अभियुक्तो से सम्पर्क किया था , हम सबने मिलकर तनिष्क शोरुम मे चोरी करने की योजना बनाई। दिनांक 05.02.2026 को हम सब मिलकर अभियुक्त रोशन की अर्टीगा गाडी से रात्री के समय अम्बेडकर रोड पर स्थित तनिष्क शोरुम जो की दीपाली ज्वैलर्स के पास स्थित है वहाँ पर पहुँचे हम लोग दीपाली ज्वैलर्स के पीछे वाले गेट के ताले को लोहे के कटर से काटकर अन्दर घुसे तभी सामने वाले घर मे रहने वाले लोगो ने हम लोगो को देख लिया तथा शोर मचा दिया तो हम सब वहाँ से बिना कुछ चुराये भाग गये वहाँ पर चोरी मे असफल होने के बाद हम लोग चोरी के इरादे से गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र मे पहुँचे जहाँ पर हमने एस पी एस अपार्टमेंट के एक बन्द फ्लैट से चोरी की थी तथा दिनांक 01.02.2026 को भी हम लोगो ने मिलकर हम सब ने मिलकर राजनगर कविनगर गाजियाबाद मे एक मकान से चोरी की थी जिसमे हम उस मकान से एक तिजोरी निकाल लाए थे जिसे हम सब ने फाड़ कर विजयनगर क्षेत्र मे फेक दिया था जिसमे कोई कीमती वस्तु बरामद नही हुई थी केवल एक पासपोर्ट व एक चैक बुक मिली थी जो चैक बुक आपको मेरे पास से मिली थी। फरार अभियुक्तों हेतु दविश जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. रोशन यादव पुत्र सूर्यनाथ यादव निवासी ग्राम गोपाल चक पोस्ट ताजपुर डेहमा थाना करीमुद्दीनपुर जिला गाजीपुर उम्र करीब 26 वर्ष
2. निमिष अग्रवाल पुत्र अनिल अग्रवाल निवासी मोतीबाग थाना कोतवाली नगर जिला बुलंदशहर उम्र करीब 36 वर्ष
3. रघु पुत्र राजकुमार निवासी म0न0 डी 93 सैक्टर 25 प्रहलाद विहार गली न0 04 रोहिणी थाना साबा डेयरी दिल्ली 42 उम्र करीब 34 वर्ष
4. अमन सक्सैना पुत्र स्व0 राकेश कुमार सक्सैना निवासी बी 426 संजय विहार आवास विकास कॉलोनी मेरठ रोड़ हापुड़ थाना कोतवाली नगर हापुड़ उम्र करीब 28 वर्ष

आपराधिक इतिहासः-

1-रघु पुत्र राजकुमार निवासी उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 0025/2026 धारा 305(A)/331(4)/62 बीएनएस थाना सिहानी गेट गजियाबाद
2. मु0अ0सं0 0063/2026 धारा 305,317(2),3(5) बी0एन0एस0 थाना साहिबाबाद गजियाबाद
3. मु0अ0सं0 0079/2026 धारा 305,317(2),3(5) बी0एन0एस0 थाना कविनगर गाजियाबाद
4. मु0अ0सं0 0186/2025 धारा 305(1),317(2),331(4) बी0एन0एस0 थाना सेक्टर 20 गौतमबुद्ध नगर
5. मु0अ0सं0 0329/2025 धारा 305(1),317(2),331(4),345(3) बी0एन0एस0 थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्ध नगर
6. मु0अ0सं0 0360/2011 धारा 457,380,411,34 भादवि थाना नोर्थ वेस्ट दिल्ली
7. मु0अ0सं0 0396/2011 धारा 379,411 भादवि थाना नोर्थ वेस्ट दिल्ली
8. मु0अ0सं0 0396/2011 धारा 379,411 भादवि थाना नोर्थ वेस्ट दिल्ली
9. मु0अ0सं0 0343/2011 धारा 457,380,411,34 भादवि थाना नोर्थ वेस्ट दिल्ली
10. मु0अ0सं0 0311/2011धारा 457,380 भादवि थाना नोर्थ वेस्ट दिल्ली
11. मु0अ0सं0 0274/2011धारा 457,380,411,34 भादवि थाना नोर्थ वेस्ट दिल्ली
12. मु0अ0सं0 0375/2011धारा 457,380 भादवि थाना नोर्थ वेस्ट दिल्ली
13. मु0अ0सं0 0157/2018 धारा 454,380,411,34 भादवि थाना प्रशान्त विहार दिल्ली
14. मु0अ0सं0 0821/2024 धारा 305,317(2),331(4) बी0एन0एस0 थाना शाहाबाद डेयरी दिल्ली
15. मु0अ0सं0 0130/2021 धारा 454,380,411,34 भादवि थाना कैलाशनाथ कतजू मार्ग दिल्ली
16. मु0अ0सं0 35806/2019 धारा 379,411 भादवि थाना शाहबाद डेयरी दिल्ली
17. मु0अ0सं0 0334/2021 धारा 380,411,34 भादवि थाना बुद्धविहार दिल्ली
18. मु0अ0सं0 0789/2022 धारा 380,457 भादवि थाना प्रशान्तविहार दिल्ली
19. मु0अ0सं0 0511/2023 धारा 379,411,34 भादवि थाना प्रशान्तविहार दिल्ली
20. मु0अ0सं0 0119/2018 धारा 380,454,411,34 भादवि थाना प्रशान्तविहार दिल्ली
21. मु0अ0सं0 0303/2011 धारा 457,380,411,34 भादवि थाना नोर्थ वेस्ट दिल्ली
22. मु0अ0सं0 0445/2020 धारा 25,54,59 आर्म्स एक्ट थाना केशवपुरम दिल्ली
23. मु0अ0सं0 0623/2021 धारा 380,411 भादवि थाना मोर्या एन्कलेव दिल्ली

24. मु0अ0सं0 0484/2018 धारा 457,380,411,34 भादवि थाना प्रशान्तविहार दिल्ली
25. मु0अ0सं0 0527/2018 धारा 457,380,411,34 भादवि थाना प्रशान्तविहार दिल्ली
26. मु0अ0सं0 0130/2019 धारा 457,380,411 भादवि थाना कैलाशनाथ कतजू मार्ग दिल्ली

2. निमिष अग्रवाल पुत्र अनिल अग्रवाल निवासी उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 0025/2026 धारा 305(A)/331(4)/62 बीएनएस थाना सिहानी गेट गजियाबाद
2. मु0अ0सं0 0063/2026 धारा 305,317(2),3(5) बी0एन0एस0 थाना साहिबाबाद गजियाबाद
3. मु0अ0सं0 0079/2026 धारा 305,317(2),3(5) बी0एन0एस0 थाना कविनगर गाजियाबाद
4. मु0अ0सं0 1581/2017 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना कोतवाली शहर बुलंदशहर

3. रोशन यादव पुत्र सूर्यनाथ यादव निवासी उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 0025/2026 धारा 305(A)/331(4)/62 बीएनएस थाना सिहानी गेट गजियाबाद
2. मु0अ0सं0 0063/2026 धारा 305,317(2),3(5) बी0एन0एस0 थाना साहिबाबाद गजियाबाद
3. मु0अ0सं0 0079/2026 धारा 305,317(2),3(5) बी0एन0एस0 थाना कविनगर गाजियाबाद

4. अमन सक्सैना पुत्र स्व0 राकेश कुमार सक्सैना निवासी उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 0025/2026 धारा 305(A)/331(4)/62 बीएनएस थाना सिहानी गेट गजियाबाद
2. मु0अ0सं0 0063/2026 धारा 305,317(2),3(5) बी0एन0एस0 थाना साहिबाबाद गजियाबाद
3. मु0अ0सं0 0079/2026 धारा 305,317(2),3(5) बी0एन0एस0 थाना कविनगर गाजियाबाद

बरामदगीः-

1.सोने की बाली- 02 अदद
2.चाँदी की चैन- 02 अदद
3.चाँदी की पायल (पाजेब)- 04 जोडी
4.चाँदी के सिक्के- 04 अदद
5. चाँदी के हथफूल- 04 अदद
6. चाँदी के बिछुए - 16 अदद
7. चाँदी की कमर बंद- 01 अदद
8. चाँदी की लटकन - 01 अदद
9. पासपोर्ट - 01 अदद
10. चैक बुक – 01 अदद
11. घटनाओं में प्रयुक्त गाड़ी अर्टीगा रंग सफेद HR63F7442

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

स्वाट टीम, अपराध शाखा व थाना वेवसिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस की संयुक्त कार्यवाही द्वारा कम्प्यूट्रीकृत धर्मकांटे में इलेक्ट्रोनिक चिप लगाकर रिमोट की मदद से सरिया चोरी करने वाले गिरोह का 01 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, जिसके कब्जे से सरिया को ढोने में उपयोग में लाये जा रहे फर्जी नम्बर प्लेट लगे 03 अदद ट्रक व कम्प्यूट्रीकृत धर्मकांटे मे बजन की हेरा–फेरी करने में उपयोग मे लायी जाने वाली 05 अदद इलेक्ट्रोनिक चिप व 05 अदद रिमोट

व एक अदद औरा कार नं0 DL12CX0297 व कम्प्यूट्रीकृत धर्मकांटे में इलेक्ट्रोनिक चिप लगाकर रिमोट की मदद से बजन की हेरा फेरी कर चोरी किया हुया सरिया कुल बजन 7800 किलोग्राम व चोरी की हुयी सरिया के फर्जी 03 बिल बरामद।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में, अपर पुलिस उपायुक्त, अपराध के पर्यवेक्षण में सहायक पुलिस आयुक्त अपराध के नेतृत्व में स्वाट टीम, अपराध शाखा द्वारा आज दिनांकः 10.02.2026 को मुखबिर की सूचना पर कम्प्यूट्रीकृत धर्मकांटे में इलेक्ट्रोनिक चिप लगाकर रिमोट की मदद से सरिया चोरी करने में 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया उक्त घटना के क्रम अभियुक्त के कब्जे से चोरी की सरिया को ढोने में उपयोग में लाये जा रहे फर्जी नम्बर प्लेट लगे 03 अदद ट्रक व कम्प्यूट्रीकृत धर्मकांटे में बजन की हेरा–फेरी करने में उपयोग मे लायी जाने वाली 05 अदद इलेक्ट्रोनिक चिप, 05 अदद रिमोट, एक अदद औरा कार नं0 DL12CX0297 व कम्प्यूट्रीकृत धर्मकांटे में इलेक्ट्रोनिक चिप लगाकर रिमोट की मदद से बजन की हेरा फेरी कर चोरी किया हुया सरिया कुल बजन 7800 किलोग्राम व चोरी की हुयी सरिया के फर्जी 03 बिल बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है।

दिनांकः 08.02.2026 को थाना वेवसिटी पर वादी मुकदमा द्वारा आदित्य वर्ल्ड सिटी में स्थित आदित्य कुटुम्बकम परियोजना में कम्पनी के कर्मचारी व सरिया गैंग के द्वारा कांटे में हेराफेरी कर चोरी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0–32/2026 धारा 318(4)/345(3)/338/336(3)340(2)/61(2)(I)/317(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना थाना वेवसिटी पुलिस द्वारा की जा रही थी। दिनांकः 09.02.2026 को मुकदमा उपरोक्त में स्वाट टीम, अपराध शाखा द्वारा थाना वेवसिटी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में अभियुक्त सरवन को मय चिप व मय रिमोट कंट्रोल के गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उसने पूछताछ पर अपने कई और अन्य साथियों के नाम बताये थे। इसी क्रम में अभियुक्त बाबर को गिरफ्तार किया गया।

<u>पूछताछ का विवरण–</u> पूछताछ पर अभियुक्त बाबर ने बताया कि अपने साथियों से मिलकर कम्प्यूट्रीकृत धर्मकांटे में इलेक्ट्रोनिक चिप लगाकर रिमोट की सहायता से बजन में हेरा फेरी करके सरिया की चोरी कर लाभ कमाते हैं। कम्प्यूट्रीकृत धर्मकांटे में बजन की हेरा फेरी करने के लिये लगायी जाने वाली 05 इलेक्ट्रोनिक चिप व कम्प्यूट्रीकृत धर्मकांटे में बजन की रीडिंग में हेराफेरी करने में उपयोग में लाये जाने वाले 05 काले रंग के रिमोट जिन पर A,B,C,D चार बटन लगे है तथा एक छोटी बत्ती लगी है मिले तथा औरा कार की पिछली सीट पर 03 बिल मिले जिनके बारे में पकड़े व्यक्ति से पूछताछ करने पर बताया कि साहब ये बिल हमने फर्जी बना रखे हैं। बिल पर अंकित ट्रक नम्बर भी फर्जी है, पुलिस से बचने के लिये हम लोग ट्रको में फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर उन्ही नम्बरो पर फर्जी बिल बना लेते है। जो RSB INFRATRUCTURE PVT LTD के कम्प्यूट्रीकृत धर्मकांटे में इलेक्ट्रोनिक चिप लगाकर रिमोट की मदद से बजन की रीडिंग में हेरा फेरी कर प्रत्येक ट्रक से लगभग 05 टन सरिया की चोरी कर लाभ कमाते है और जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 04 लाख रूपये है। हम सभी मिलकर चोरी की सरिया को फर्जी नम्बर प्लेट के ट्रको में फर्जी बिल बनवाकर दिल्ली या हरियाणा में बेचकर लाखों रूपये मुनाफा कमाते है। उक्त सरिया चोरी के कृत्य में अपने कई साथियों के नाम बताये हैं। जिनके सम्बन्ध में जांच पड़ताल कर गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण–

1. बाबर मलिक पुत्र स्व0 अय्यूब मलिक निवासी म0नं0 127 नियर मोती मस्जिद कैला भट्टा थाना कोतवाली पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 38 वर्ष

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण–

1. 03 अदद ट्रक फर्जी नम्बर लगे
2. कम्प्यूट्रीकृत धर्मकांटे मे बजन की हेरा–फेरी करने में उपयोग मे लायी जाने वाली 05 अदद इलेक्ट्रोनिक चिप
3. 05 अदद रिमोट
4. 01 अदद औरा कार नं0 DL12CX0297
5. कम्प्यूट्रीकृत धर्मकांटे में इलेक्ट्रोनिक चिप लगाकर रिमोट की मदद से बजन की हेरा फेरी कर चोरी किया हुआ सरिया कुल बजन 7800 किलोग्राम
6. चोरी की हुयी सरिया के फर्जी 03 बिल बरामद।

आपराधिक इतिहास–

बाबर मलिक पुत्र स्व0 अय्यूब मलिक निवासी उपरोक्तः–

1. मु0अ0सं0 656/2018 धारा 420,386,407,411,413,266,34 भादंवि थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 243/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0 1868/2021 धारा 414 भादंवि थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।
4. मु0अ0सं0 242/2019 धारा 420,406,468,120बी,34 भादंवि हॉजखास, साउथ दिल्ली।

गिरफ्तार करने वाली टीम–

1. स्वाट टीम, क्राइम ब्रान्च, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।
2. थाना वेवसिटी, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई रु 1,38,733/- की कुल धनराशि वापस करायी गई।

दिनांक 10.02.2026 को साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक श्री अशीष वर्मा निवासी थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद के साथ हुए **रु 1,38,733/- की** साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि रू 1,38,733/- को आवेदक के पक्ष में वापस कराया गया।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदक श्री अशीष वर्मा उपरोक्त के साथ ऑनलाइन ठगी

से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमे आवेदक से ई-चालान ऐप डाउनलोड कराकर उसके फोन को हैक किया गया था जिस पर साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को सम्बधित मर्चेन्ट से पत्राचार व अन्य प्रयासों के बाद दिनांक 10.02.2026 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की कुल धनराशि 1,38,733/- रू को साइबर सेल टीम थाना क्रोसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद द्वारा वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक आकर थाना प्रभारी महोदय एवं पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

साइबर सैल थाना क्रोसिंग रिपब्लिक

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा गुमसुदा 02 बालिकाओं उम्र करीब 14 वर्ष को सकुशल बरामद किया गया।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 08.02.2026 को थाना लिंकरोड पर वादी द्वारा तहरीर दी गई है कि वादी की पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष व उसकी नाबालिक सहेली उम्र करीब 14 वर्ष के साथ स्कूल से कही चली गयी है और अभी तक लौट कर नही आई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लिंकरोड़ पर सुसंगत धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया व तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

जिसके क्रम में आज दिनांक 10.02.2026 को थाना लिंकरोड़ पुलिस टीम द्वारा बीट प्रणाली व स्थानीय लोगों के सहयोग से सूचना का प्रसार तथा सम्भावित स्थानों बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, सर्विलांस सेल व कैमरों की सहायता से उपरोक्त वादी की गुमशुदा नाबालिक पुत्री व उसकी सहेली को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामद करने वाली टीम:-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम